राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम	आलोच्य आदेश दिनांक
1.	2336/2021 रामलाल मीणा	1. सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. उप वन संरक्षक, टोंक। 3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर। 4. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर।	14.07.2021	श्री उम्मेद सिंह तंवर अभिभाषक एवं श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता	18.10.2020 एवं 24.12.2020
2.	2337/2021 बहादुर सिंह				11.09.2020 एवं 24.12.2020

आदेश की दिनांक : 26.10.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2336/2021 रामलाल मीणा बनाम सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.10.2020 व 24.12.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 3600 में वेतन निर्धारण के अनुसार ही पेंशन परिलाभ प्रदान किए जावें एवं शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किए जाने तथा अपीलार्थी की ग्रेच्युटी से वसूल की गई राशि रूपये 87276/– मय ब्याज सहित वापिस लौटाई जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वनरक्षक के पद पर वर्ष 1984 में हुई थी और वर्ष 2012 में सहायक वनपाल के पद पर तथा वर्ष 2017 में वनपाल के पद पर पदोन्नति दी गई और अपीलार्थी सेवानिवृत्ति की दिनांक तक उक्त पद पर कार्य करता रहा। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 1994 व 2001 से दिया गया। पुनरीक्षित वेतनमान में संशोधन करते हुए अपीलार्थी की ग्रेड पे 9, 18

एवं 27 वर्ष पर 2400, 2800 व 3600 का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान देने के आदेश जारी किए गए, जिसके क्रम में प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 01.07.2013 से अपीलार्थी की ग्रेड पे संशोधित करते हुए ग्रेड पे 2800 दिया गया। उसी के अनुसार अपीलार्थी को 9 व 18 वर्षीय चयनित वेतनमान को संशोधित करते हुए ग्रेड पे 2800 दिया गया तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के पश्चात् ग्रेड पे 3600 दिनांक 01.07.2013 से स्वीकृत की गई और अपीलार्थी के 60 वर्ष आयु होने पर आदेश दिनांक 30.06.2020 के द्वारा राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया गया। परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 18.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी की ग्रेड पे 3600 को संशोधित करते हुए ग्रेड पे 2800 निर्धारित करते हुए पेंशन प्रकरण प्रेषित किया गया और आदेश दिनांक 24.12.2020 को जारी जीपीओ में रूपये 87276/– की वसूली ग्रेच्युटी में से सेवानिवृत्ति के पश्चात् की गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 29.01.2021 को अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को दिया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उस पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.10.2020 व 24.12.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 3600 में वेतन निर्धारण के अनुसार ही पेंशन परिलाभ प्रदान किए जावें एवं शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किए जाने तथा अपीलार्थी की ग्रेच्युटी से वसूल की गई राशि रूपये 87276/– मय ब्याज सहित वापिस लौटाई जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वनरक्षक के पद पर वर्ष 1984 में हुई थी और वर्ष 1993 में तथा वर्ष 2002 में उसे प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया एवं 27 वर्ष की सेवा वर्ष 2011 में पूर्ण होने पर स्वीकृत की गई। अपीलार्थी को वर्ष 2013 से पूर्व ग्रेड पे 2800 प्राप्त करने के कारण ग्रेड पे 3600 के स्थान पर ग्रेड पे 2800 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.10.2017 से स्वीकृत की गई। उक्त संशोधन के कारण दिनांक 31.06.2020 तक अधिक भुगतान की गई राशि रूपये 87276/– की वसूली देय ग्रेच्युटी से करने के आदेश दिए गए। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी की ग्रेच्युटी से जो राशि की कटौती की गई है व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.02.2022 द्वारा आदेश दिनांक 30.10.2017 को विड्रा कर आदेश दिनांक 28.06.2013 को बहाल कर दिए जाने से अपीलार्थी को नियमानुसार उनकी ग्रेच्युटी

से की गई कटौती राशि रूपये 87276/– का भुगतान दिनांक 15.11.2022 के द्वारा कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी की कोई शेष राशि नहीं रही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण के ग्रेच्युटी से जो राशि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कटौती की गई है, उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 15.11.2022 के द्वारा अपीलार्थीगण को उक्त कटौती राशि को वापिस लौटा दी गई है और इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थीगण से कटौती की गई राशि का कोई बकाया राशि शेष नहीं रही है और अपीलार्थीगण द्वारा लिखित पत्र दिनांक 03.10.2023 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी को संपूर्ण भुगतान प्राप्त हो चुका है और प्रार्थी प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता है। इस प्रकार अपीलार्थीगण से कटौती की गई राशि संपूर्ण रूप से प्राप्त की जा चुकी है। अतः पालना पूर्ण होने के कारण उक्त दोनों अपीलें खारिज फरमाए जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2336/2021 रामलाल मीणा बनाम सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 2337/2021 बहादुर सिंह में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य